कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री संदीप वर्मा, 22 / 2, एस ब्लाक एक्सटेन्सन, पान्डव नगर, दिल्ली।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**73 / 11**
प्रार्थी की ओर से	**श्री सुनील गोयल, अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. **व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-73 / 11, दिनांक 05.08.11 प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से दो पहिया व चार पहिया वाहन में लगने वाले ताले, चाबी व उनके पार्ट्स पर कर की दर जाननी चाही गयी है ?**

2. फर्म की ओर से श्री सुनील गोयल, अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा बताया गया कि वह इग्नीशन लॉक को छोड़कर दो पहिया वाहन व चार पहिया वाहन में लगने वाले अन्य प्रकार के तालों का निर्माण व बिक्री का कार्य करना चाहते हैं। अत: उक्त पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत कर की दर जानना चाहते हैं। अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-77 के अन्तर्गत सभी प्रकार के तालों उनकी चाबियों तथा पार्ट्स पर 4% की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है अत: उनके द्वारा निर्माण किये जाने वाले तालों पर भी 4% की दर से करदेयता उपरोक्तानुसार होनी चाहिए।

3. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-77 निम्नवत् है :-

77	Locks of all kinds, their keys and parts thereof.

4. सुनवाई के समय श्री सुनील गोयल उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा एक विस्तृत लिखित स्पष्टीकरण दाखिल किया गया जिसके माध्यम से उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-77 में स्पष्ट रूप से सभी प्रकार के तालों को सम्मिलित किया गया है तथा मौखिक रूप से बताया गया कि वह वाहनों में लगने वाले इग्नीशन ताले (Ignition lock) को छोड़कर अन्य ताालों के बारे में करदेयता जानना चाहते हैं। अवगत कराया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय, पंजाब व हरियाणा द्वारा विभिन्न मामलों में यह नियम प्रतिपादित किया गया है कि **1.** किसी वस्तु को वर्गीकृत करने के लिए यह देखा जाना आवश्यक है कि यदि उस वस्तु के सम्बन्ध में specific entry मौजूद है तो specific entry, residuary entry पर prevail करेगी **2.** किसी वस्तु के सम्बन्ध में मात्र उसके उपयोग के आधार पर उक्त वस्तु का वर्गीकरण करना अन्तिम निर्णय नहीं होता है तथा वस्तु की करदेयता निर्धारण के लिए कामन पारलेन्स टेस्ट को प्रयोग करना उचित होता है **3.** यदि किसी वस्तु के वर्गीकरण की स्पष्ट प्रविष्टि मौजूद है तो उक्त वस्तु के वर्गीकरण पर प्रश्न करना

.....2

उचित नहीं है तथा टैक्निकल एवं वैज्ञानिक टेस्ट उस वस्तु के वर्गीकरण केनिर्धारण हेतु केवल दिशा निर्देश का कार्य करते हैं । अपने कथन के समर्थन में उनके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय पंजाब व हरियाणा द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में पारित विभिन्न एवं निम्न निर्णयों से अवगत कराया- सर्वश्री Dunlop India Ltd. vs. Union og India and Ors 1977 AIR 597 (SC), दिनांक 06.10.1975, सर्वश्री Mukesh Kumar Aggarwal & Co. vs. State of Madhya Pradesh and Others (1988) 68 STC 324 (SC), दिनांक 18.12.1987, Commercial Taxes Officer vs. सर्वश्री Jalani Enterprises (2011) 39 VST 421 (SC), दिनांक 17.03.2011, Commissioner of Central Excise, Nagpur vs. सर्वश्री Shree Baidyanath Ayurved Bhawan Ltd, दिनांक 13.04.09 एवं सर्वश्री State of Punjab & another vs. Federal Gogul goetze (India) Ltd.-2011 NTN (Vol.46)-160, दिनांक 15.03.2011

5. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, पत्रावली एवं अभिलेखों आदि का परिशीलन किया गया । पाया गया कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-77 में Locks of all kinds की specific entry मौजूद है । अत: माननीय सर्वोच्च द्वारा उपरोक्त निर्णयों में स्थापित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में मात्र वस्तु के उपयोग के टेस्ट के स्थान पर कामन पारलेन्स टेस्ट के आधार पर करदेयता निर्धारित करना उचित होगा । अत: **दो पहिया व चार पहिया वाहनों में लगने वाले (इग्नीशन लॉक के अतिरिक्त) सभी प्रकार के ताले, चाबी व उनके पार्ट्स** पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-77 के अन्तर्गत आने के कारण 4% (अतिरिक्त कर अतिरिक्त) की दर से करदेयता निर्धारित की जाती है ।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 21 अगस्त, 2011

ह0 21.8.2011

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ,लखनऊ ।